

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 61
No. 90]	DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASADHA 20, 1936	[N.C.T.D. No. 61

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सं. एफ.7(50)/85/ए.एच.डी./भाग-3/2077- भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 के साथ पठित कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), भारत सरकार की दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 23-46/84-एल डी टी (एल.एच.एस.) (खण्ड-2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पशु चिकित्सा परिषद् का पुनर्गठन कर निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करते हैं:-

धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन-निर्वाचित सदस्य

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. डा. विक्रमसिंह यादव | डी.वी.सी. रजि.नं.- डी.वी.सी./0290 |
| 2. डा. यशपाल | डी.वी.सी. रजि.नं.- डी.वी.सी./0180 |
| 3. डा. शिव हरि वर्मा | डी.वी.सी. रजि.नं.- डी.वी.सी./0469 |
| 4. डा. अखिलेश कमल | डी.वी.सी. रजि.नं.- डी.वी.सी./0478 |

धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन-पशु चिकित्सा संस्थान के मुखिया

-कोई नहीं-

सत्यापित
22-8-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सं. फा. 03(12)/वित्त (राज.-1)/2013-14/डीएस-VI/692.- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 73 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री मधु सुदन वधवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिये दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधीकरण के सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति सेल्स टैक्स बार एसोशियेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर किए गये केस संख्या W.P. (C) No. 2980 of 2013 के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th July, 2014

No.F.3(12)/Fin.(Rev.-1)/2013-14/dsVI/692.-The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 73 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereby, appoints Sh.Madhu Sudan Wadhwa as Member (Judicial), Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, for a period of three years from the date of his joining. The appointment shall be subject to the final judgment of the Hon'ble Delhi High Court in W.P. (C) No. 2980 of 2013 filed by Sales Tax Bar Association (Regd.)

सं. फा. 03(12)/वित्त (राज.-1)/2013-14/डीएस-VI/693.- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 73 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री दीवान चन्द को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिये दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधीकरण के सदस्य (प्रशासनिक) के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति सेल्स टैक्स बार एसोशियेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर किए गये केस संख्या W.P. (C) No. 2980 of 2013 के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
रवीन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI (वित्त)

No.F.3(12)/Fin.(Rev.-1)/2013-14/dsvi/693.-The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 73 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereby, appoints Sh. Diwan Chand as Member (Administrative), Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, for a period of three years from the date of his joining. The appointment is subject to the final judgment of the Hon'ble Delhi High Court in W.P. (C) No. 2980 of 2013 filed by Sales Tax Bar Association (Regd.)

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सं0फा0 2(13)/2012-स्था0/ईबीडी/पार्ट/74-81.-दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम 4) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा हेतु पराचिकित्सा प्रशिक्षण, परीक्षा निकाय, दिल्ली सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- 1.(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा हेतु पराचिकित्सा प्रशिक्षण, परीक्षा निकाय, दिल्ली (सामान्य) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं :-

2(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन विनियमों में —

- (i) "अधिनियम" का अर्थ दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं० 4) से है;
- (ii) "पूरे दिन" का अर्थ किसी नोटिस या सूचना के जारी होने के दिन और बैठक के दिन के रहित, लेकिन इसमें शनिवार, रविवार और छुट्टियां सम्मिलित होते हैं;
- (iii) "परीक्षा निकाय" का अर्थ अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत गठित "परीक्षा निकाय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण, भारतीय चिकित्सा दिल्ली" से है;
- (iv) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;
- (v) "धारा" का अर्थ अधिनियम की किसी धारा से है।

- 2 (2) "प्रयुक्त शब्द" तथा "वाक्यांश" लेकिन इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें प्रदान किया गया है। प्रयुक्त एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन वाले शब्द भी सम्मिलित होते हैं और उसके विलोम पुरुष लिंग वाले शब्दों में स्त्री लिंग वाले शब्द भी सम्मिलित हैं।

3. परीक्षा निकाय के प्रथम गठन के उपरान्त सदस्यों का नामांकन :-

- 3(1) अधिनियम की धारा 33 (3)(क) के अन्तर्गत नामांकन विभागाध्यक्ष (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
- 3(2) अधिनियम की धारा 33(3) (ख) के अन्तर्गत नामांकन विभागाध्यक्ष (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।
- 3(3) अधिनियम की धारा 33(3) (ग) के अन्तर्गत नामांकन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और इस प्रकार संस्तुति सदस्य, जो आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के स्नातकहो, को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य करने के लिए इस प्रकार प्रस्तावित व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति संबंधी ऐसी संस्तुति केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा लेकर सूचित भी की जाएगी।
- 3(4) अधिनियम की धारा 33(3) (घ) एवं 33(3)(ड) के अन्तर्गत नामांकन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के शिक्षण संस्थानों, जैसी भी स्थिति हो, के उन आचार्यों, प्रोफेसरों के बीच में से संस्थान के विभागाध्यक्षों (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा जो दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकृत हैं। यदि कोई आचार्य उपलब्ध नहीं है, तो संस्थान के प्रमुख द्वारा संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्य को प्रस्तावित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावित व्यक्ति की इच्छा भी संस्थान के प्रधान द्वारा ऐसी संस्तुति सहित लेकर सूचित की जाएगी।
- 3(5) अधिनियम की धारा 33(3) (च) एवं 33(3) (छ) के अन्तर्गत नामांकन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित और दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् के साथ विधिवत् पंजीकृत एवं पूर्ण रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले आयुर्वेद या यूनानी में, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय चिकित्सा पद्धति की मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बीच में से दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा।
- 3(6) अधिनियम की धारा 33(3) (ज) के अन्तर्गत नामांकन निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय), दिल्ली सरकार की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

व्याख्या:- विनियम 3 (1), 3(2) एवं 3(6) के अन्तर्गत नामांकनों की संस्तुति करने वाले प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष के स्थान पर पद को नामांकित करेंगे ताकि उस पद पर कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सके।

4. अधिनियम की धारा 33(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष का नामांकन :-

सरकार, अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत नामांकित सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में नामांकित करेगी, वह भारतीय चिकित्सा सुयोग्य स्नातक को तथा दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् के साथ पंजीकृत को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. "सदस्यों का कार्यकाल :-

परीक्षा निकाय के सदस्यों का कार्यकाल परीक्षा निकाय के गठन/पुनर्गठन, जैसी भी स्थिति हो, के बाद उसकी प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा। यदि सरकार ऐसा उचित समझती है, तो परीक्षा निकाय के सदस्यों का कार्यकाल अधिक से अधिक एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है। कार्यकाल समाप्त होने पर परीक्षा निकाय के अध्यक्ष सहित इसके सदस्य, सरकार द्वारा परीक्षा निकाय के नए सदस्यों के नामांकित होने तक सारी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे और सारे

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसा वे पहले परीक्षा निकाय के कार्य संव्यवहार की सुचारु कार्यप्रणाली के लिये करते रहे हैं।

6. **सदस्यता के लिये अयोग्यताएं:-**

सदस्य बनने के लिये कोई सदस्य अयोग्य होगा, यदि —

- (1) वह भारत का नागरिक नहीं है; अथवा
- (2) वह कोई घोषित दिवालिया है; या
- (3) वह विक्षिप्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है; अथवा
- (4) वह किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध के लिये दण्डित किया गया है; या
- (5) उसे सरकार के अधीन किसी सेवा से पदच्युत/बर्खास्त किया गया हो।

7. **सदस्य की समाप्ति:-**

- 7(1) यदि परीक्षा निकाय का कोई सदस्य अपने पद की अवधि के दौरान—
 - (i) परीक्षा निकाय के अध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा निकाय की लागतार तीन बैठकों में स्वयं अनुपस्थित रहता है; अथवा
 - (ii) लगातार बारह माह से अधिक अवधि के लिये विदेश में रहता है; अथवा
 - (iii) विनियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी अयोग्यता के अन्तर्गत आता है; अथवा
 - (iv) अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) के खंड (घ), (ङ), (च) एवं (छ) के अन्तर्गत नामांकित सदस्यों की स्थिति में अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत बनायी गयी भारतीय चिकित्सा संबंधी सरकारी पंजिका में नामांकित किए जाने के लिये नहीं रहता है,।
 तो परीक्षा निकाय उसके पद को रिक्त घोषित करेगा।
 शर्त यह है कि इस विनियम के अन्तर्गत तब तक कोई घोषणा नहीं की जाएगी, जब तक परीक्षा निकाय के संबंधित सदस्य को व्यक्तिगत सुनवाई का यथोचित अवसर नहीं दिया जाता है।
- 7(2) विनियम 7(1) अन्तर्गत किसी घोषणा से असंतुष्ट कोई भी सदस्य ऐसी घोषणा की तिथि से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकता है और इस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

8. **आकस्मिक रिक्तियां :-**

- 8(1) परीक्षा निकाय के सदस्य/अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्तियां निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होगी :
 - (i) उसकी मृत्यु होने पर; अथवा
 - (ii) विनियम 6 के अन्तर्गत उसके अयोग्य होने पर; अथवा
 - (iii) विनियम 7 के अन्तर्गत उसकी सदस्यता समाप्त होने पर; अथवा
 - (iv) उसके त्याग पत्र देने पर या अधिनियम की धारा 33(6) के अन्तर्गत सरकार द्वारा हटाया जाने पर।
- 8(2) यदि विनियम 8(1) में उल्लिखित किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत उसके पद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले परीक्षा निकाय के किसी सदस्य के पद की रिक्ति होती है या अन्यथा सदस्य के न रहने पर रिक्ति होती है, तो रिक्ति अधिनियम की धारा 33(7) के अनुसार नए नामांकन से भरी जाएगी।
- 8(3) तो वे पुनः नामांकन के लिये योग्य होंगे, यदि परीक्षा निकाय के सदस्य अन्यथा सुयोग्य हैं,
- 8(4) अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति सरकार द्वारा परीक्षा निकाय के सदस्यों के बीच में से नामांकन द्वारा भरी जाएगी।
- 8(5) जब अध्यक्ष का पद रिक्ति है या अध्यक्ष असमर्थ या अक्षम है, तब सचिव शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा निकाय की आपत्तिक बैठक बुलाएगा और बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे जो अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन छह माह तक की अवधि के लिए या सरकार द्वारा विधिवत् नामांकित अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने की अवधि तक अथवा पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, करेगा।

9. **सदस्यों के कर्तव्य एवं दायित्व :-**

- 9(1) परीक्षा निकाय सदस्यों के पूरे पते सहित एक सदस्य रजिस्टर बनाएगा और परीक्षा निकाय के प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य होगा कि वह अपने नवीनतम कार्यालय/आवासीय पते के बारे में परीक्षा निकाय के कार्यालय को सूचित करे।
- 9(2) जहां अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति का अवकाश लिखित में प्रदान किया गया है, उसे छोड़कर प्रत्येक सदस्य परीक्षा निकाय की सारी बैठकों में भाग लेगा।
- 9(3) प्रत्येक सदस्य बैठकों में रखी उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर करेगा।
- 9(4) प्रत्येक सदस्य परीक्षा निकाय की सभी बैठकों के एजेंडे और कार्यवाहियों की प्राप्ति की पावती देगा।
- 9(5) प्रत्येक सदस्य विचार विमर्श में अपना अभिमत प्रकट करेगा, इसमें भाग लेगा और परीक्षा निकाय की कुछ/सभी बैठकों के समक्ष प्रस्तुत कुछ/सारे मामले/एजेंडे पर अपना मतदान करेगा।
- 9(6) कोई सदस्य परीक्षा निकाय की मदद करेगा जहां निम्न द्वारा आवश्यक हो—

2844 & 9/14-2

सत्यापित २२-८-१६
 सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 शहरी विकास मंत्रालय
 सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (i) विशेषज्ञ समितियों संबंधी नामांकन पत्र स्वीकार करना;
- (ii) जब कभी परीक्षा निकाय द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाए; तब संस्थानों/और संगठनों का निरीक्षण;
- (iii) सभी ऐसे निरीक्षकों के प्रतिवेदन तैयार करके प्रस्तुत करना;
- (iv) समय-समय पर परीक्षा निकाय द्वारा सौंपे गए कुछ अन्य कार्यों का निष्पादन।
- 9 (7) कोई सदस्य परीक्षा निकाय द्वारा उस पर व्यक्त किए गए विश्वास को बनाए रखेगा और किसी उस व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देगा, जो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत नहीं है।
- 9(8) कोई सदस्य परीक्षा निकाय से संबंधित सभी मामलों और कार्यों के लिये केवल अध्यक्ष या सचिव के साथ संवाद करेगा और किसी सार्वजनिक अभिकरण को परीक्षा निकाय की कार्यवाहियों/निर्णयों और अन्य निकायों से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देगा।
10. परीक्षा निकाय का कार्य संचालन:-
- 10(1) बैठक बुलाना:-
- (i) परीक्षा निकाय अपने गठन/पुनर्गठन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर अपनी पहली बैठक करेगा।
- (ii) परीक्षा निकाय के कार्य संचालन हेतु वह एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम चार बैठक अर्थात् प्रत्येक तिमाही में एक बैठक अर्थात् जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर और अक्टूबर से दिसम्बर में।
- (iii) परीक्षा निकाय अध्यक्ष द्वारा यथानिर्णित स्थान और समय पर बैठक करेगा और प्रत्येक बैठक सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।
- (iv) जब कभी अध्यक्ष बैठक बुलाना उचित समझते हैं, तब परीक्षा निकाय की असाधारण बैठक बुलाएंगे। अध्यक्ष, कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के बाद 10 दिनों तक किसी भी तिथि को परीक्षा निकाय की असाधारण बैठक भी बुलाएंगे।
- (v) परीक्षा निकाय के अध्यक्ष या सचिव विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय परीक्षा निकाय की आपातक बैठक बुला सकते हैं। ऐसी आपातक बैठक की सूचना सभी सदस्यों को टेलिफोन से/एसएमएस या दस्ती या किसी विशेष संदेश वाहक के माध्यम से दे सकते हैं।
- 10(2) बैठक बुलाने के लिये सूचना:-
- (i) परीक्षा निकाय के सभी सदस्यों को किसी साधारण बैठक के लिये 10 पूरे दिनों और किसी असाधारण बैठक के लिये 3 पूरे दिनों के लिये नोटिस दिया जाएगा।
- (ii) ऐसी प्रत्येक बैठक की सूचना परीक्षा निकाय के सभी सदस्यों को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर/ई-मेल से दी जाएगी, और इसकी एक प्रति परीक्षा निकाय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
- (iii) प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख होगा और इसमें होने वाले कार्य का एजेंडा विशेष रूप से दर्शाया हो और इसमें यह भी उल्लेख हो क्या बैठक किसी साधारण कार्य या असाधारण कार्य के लिये है।
- 10(3) बैठकों में कार्य संचालन :- परीक्षा निकाय की सभी साधारण या असाधारण बैठकों में एजेंडे में व्याविनिर्दिष्ट किसी कार्य या समस्या के अतिरिक्त किसी अन्य पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे किसी बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले किसी कार्य का समस्या पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं, यदि इसे वह अविलम्बनीय प्रकृति का मानते हों और यह किसी साधारण/सामान्य एजेंडे की अवहेलना के बावजूद शामिल/दर्ज किया गया हो। इस प्रकार का कोई भी समावेशन किसी असाधारण बैठक में किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- 10(4) बैठक में उपस्थिति :- परीक्षा निकाय के सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाया जाएगा और यह प्रत्येक बैठक स्थल पर रखा जाएगा उपस्थित सभी सदस्य अपनी उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम सहित हस्ताक्षर करेंगे।
- 10(5) एजेंडे में सन्निविष्ट करने के लिये प्रस्ताव:- कोई भी सदस्य बैठक के लिये निश्चित तिथि से पूरे पांच दिन पहले साधारण/सामान्य बैठक के एजेंडे में किसी कार्य/समस्या का सन्निविष्ट करने के लिये अनुरोध/प्रस्ताव भेज सकता है;
- (ii) अध्यक्ष, बैठक के एजेंडे में सन्निविष्ट किए जाने के लिये ऐसे कार्य/समस्या को अनुमत्त कर सकता है, यदि वह इसे उपयुक्त मानता है, और जहां अध्यक्ष ऐसे अनुरोध/प्रस्ताव को अनुमत्त नहीं करता है, तो ऐसा करने के कारण, सदस्य को लिखित में सूचित किए जाएंगे;
- (iii) अध्यक्ष, लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर किसी ऐसे अनुरोध/प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, यह भले ही पूर्वोक्त अवधि के बीत जाने के बाद प्राप्त किया गया हो।
- 10(6) बैठक का स्थगन :- परीक्षा निकाय की कोई भी बैठक, समय-समय पर अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर उसी दिन के बाद कुछ घंटे के लिये या किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर सकता है, लेकिन स्थगित

सत्यापित 2. 04
22-8-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

बैठक में छूट गए कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को ऐसी स्थगित बैठक में संचालित नहीं किया जाएगा। बैठक के स्थगन की सूचना परीक्षा निकाय के कार्यालय के सूचना पट्ट पर स्थगन वाले दिन को प्रदर्शित की जाएगी और बैठक स्थल पर भी प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रकार प्रदर्शित नोटिस को आगामी आने वाली/स्थगित बैठक का पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा। उक्त स्थगित बैठक के लिये कोई अलग से नोटिस भेजा जाना अपेक्षित नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि निश्चित तिथि से पहले बैठक स्थगित की गई हो, तो साधारण/सामान्य और असाधारण बैठक के लिये यथानिर्धारित पद्धति से नया नोटिस सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

10(7) **बैठक का कार्यवृत्त :-**(i) परीक्षा निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रयोजन के लिए रखी पुस्तिका में उल्लेख करके बनाया जाएगा। यह पुस्तिका परीक्षा निकाय के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये सभी यथोचित समय पर उपलब्ध होगी।

(ii) बैठक के कार्यवृत्त की प्रति परीक्षा निकाय के सभी सदस्यों को ऐसी बैठक से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी। यदि उक्त कार्यवृत्त संबंधी किसी प्रविष्टि के बारे में कोई आपत्ति हो, तो सदस्य अपनी आपत्ति साधारण कार्य की स्थिति में सात दिन के भीतर और असाधारण कार्य की स्थिति तीन दिन में प्रस्तुत कर सकता है/सकते हैं। यदि सात दिन या तीन दिन की अवधि के भीतर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उक्त कार्यवृत्त को सदस्यों/सदस्य द्वारा अनुमोदित और पारित संकल्प मान लिया जाएगा और ऐसी बैठक में लिये गए निर्णय सात दिन या तीन दिन, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि बीतने के बाद तत्काल प्रभावी होंगे।

तथापि, आपातक बैठक की स्थिति में कार्यवृत्त तत्काल दर्ज किया जाएगा और वहीं पर उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसे तब अनुमोदित मान लिया जाएगा जब सदस्यों द्वारा संकल्प हस्ताक्षरित और पारित कर दिया जाए और ऐसी बैठक में लिये निर्णय तत्काल प्रभावी होंगे।

10(8) **कार्यवृत्त का संशोधन:-** (1) यदि पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त में किसी त्रुटि या भूलचूक संबंधी किसी सदस्य से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो कार्यवृत्त में तदनुसार संशोधित किया जाएगा, यदि टाइप/गणितीय भूल या प्रासांगिक स्लिप या अन्यथा से त्रुटि/भूलचूक हुई है तो अध्यक्ष बैठक की भावना का ध्यान रखते हुए ऐसा मानते हैं। तथापि किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बहुमत के अनुसार निर्णय लेगा।

10 (9) **लिखित प्रस्ताव का संचलन :-**

प्रस्ताव के बारे में सदस्यों का उत्तर हां या न में आमंत्रित करने के लिये अध्यक्ष यदि उपयुक्त समझे, तो परीक्षक निकाय की टिप्पणी तथा सदस्यों के मत के लिए बैठक बुलाए जाने के बजाय कारण रिकार्ड करने के लिये लिखित प्रस्ताव का संचलन कर सकते हैं।

11. फीस एवं भत्ते :-

11(1) समय-समय पर परीक्षक निकाय द्वारा निर्धारित दर से परीक्षक निकाय एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समय-समय पर परीक्षक निकाय द्वारा नियत मानदेय अध्यक्ष सहित परीक्षक निकाय के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। परीक्षक निकाय की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए सदस्यों को मानदेय के अलावा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

11(2) अध्यक्ष सहित परीक्षक निकाय के सभी सदस्यों को की दर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर या बाहर परीक्षक निकाय की बैठकों में हिस्सा लेने के बजाय सभी सरकारी कार्यों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य अनुमत भत्ते दिए जाएंगे:-

(i) यदि सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वही लागू होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ग्रेड-1/ग्रुप-1 के अधिकारी के लिए लागू है।

(ii) यदि सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो उसकी सेवा नियमों के अनुसार उससे संबंधित ग्रुप के अनुसार।

सामान्यतः सदस्य हवाई जहाज तथा/या ट्रेन के प्रथम ए0सी0 द्वारा यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के दावा करने के पात्र नहीं है। तथापि आपात स्थिति में परीक्षक निकाय उचित कारण के लिए अनुमति दे सकती है।

11(3) यात्रा भत्ता के उद्देश्य के लिए अध्यक्ष स्वयं के लिए नियंत्रण अधिकारी है।

12. परीक्षक निकाय की समितियां :-

12(1) परीक्षक निकाय के सफलतापूर्वक संचालन के लिए समय-समय पर जैसा उचित समझे परीक्षक निकाय सामान्य तथा/या विशेष उद्देश्यों के लिए अपने सदस्यों में से ऐसी समिति गठित/पुर्नगठित कर सकती है।

12(2) इस प्रकार से गठित समितियां वही कार्य करेंगी जो परीक्षक निकाय द्वारा उन्हें सौंपा गया है।

12(3) परीक्षक निकाय को यह शक्ति होगी कि वो ऐसी किसी समिति के किसी सदस्य को सहयोजित कर सकेगी जो परीक्षक निकाय का सदस्य नहीं है। इस प्रकार से सहयोजित सदस्य को उक्त समितियों की बैठकों में हिस्सा लेने और उनमें होने वाले विचार-विमर्श में भी हिस्सा लेने का अधिकार है। तथापि किसी मुद्दे पर निर्णय लेते समय ऐसी कार्यवाही में मत देने का उसे अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति को सुनने का अवसर —

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

दिए बिना किसी भी समय परीक्षक निकाय द्वारा उक्त समितियों की सदस्यता से हटाया जा सकता है। यद्यपि ऐसे व्यक्ति समय-समय पर परीक्षक निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष भत्तों के लिए भी पात्र होंगे।

13. **व्यक्तियों का संघ :-**

परीक्षक निकाय सहायता प्राप्त करने के लिए निबंधन एवं शर्तों पर विषय पर विशेष जानकारी रखने वाले किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या व्यक्तियों को संबद्ध कर सकता है ताकि परीक्षक निकाय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को समय-समय पर हासिल करने हेतु उचित समझा जाए।

14. **सेवा की शर्तें, शक्तियाँ तथा सचिव एवं अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य:-**

14(1) सामान्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को शासी करने वाले सभी नियम एवं विनियम परीक्षक निकाय के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

14(2) परीक्षक निकाय का कोई भी कर्मचारी, परीक्षक निकाय की पूर्वानुमति के बिना स्वयं को किसी व्यवस्था कार्य सेवा में लिप्त नहीं कर सकता है चाहे वो अंशकालिक हो या पूर्ण कालिक।

14(3) परीक्षक निकाय के सभी कर्मचारी, अपने अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियम/मार्गदर्शन/परिपत्र/आदेश के अनुरूप समय-समय पर परीक्षक निकाय द्वारा निर्देशित समय एवं अवधि पर परीक्षक निकाय के कार्यालय पहुंचेंगे।

14(4) अध्यक्ष की अनुमति के बिना सचिव स्वयं को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं कर सकते हैं। परीक्षक निकाय के अन्य कर्मचारी भी सचिव की अनुमति के बिना स्वयं को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं कर सकते हैं।

14(5) परीक्षक निकाय में सभी पद/पदों पर नियुक्ति के लिए उचित उम्मीदवारों की सिफारिश के लिए परीक्षक निकाय एक चयन समिति गठित करेगी चाहे वो स्थायी आधार पर हो या अस्थायी/तदर्थ/संविदा/आउट सोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति इत्यादि। चयन समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे परन्तु पांच से अधिक नहीं होंगे। परीक्षक निकाय में सभी नियुक्तियां परीक्षक निकाय द्वारा की जाएंगी और इसके लिए चयन समिति की सिफारिशों का ध्यान रखा जाएगा।

किसी आकस्मिता की स्थिति में अध्यक्ष तदर्थ आधार पर किसी पद के लिए नियुक्ति कर सकता है। तथापि जब कभी भी ऐसी नियुक्ति की जाए तो इसके अनुमोदन हेतु यथाशीघ्र परीक्षक निकाय को सूचित किया जाए। यदि परीक्षक निकाय अध्यक्ष द्वारा की गई उक्त तदर्थ नियुक्ति का अनुमोदन नहीं करती है तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तब तक उस पद पर बना रहेगा जैसाकि परीक्षक निकाय की ओर से विनिर्दिष्ट है।

14(6) परीक्षक निकाय के कर्मचारियों की पदोन्नति के विचार/सिफारिश के उद्देश्य के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति (लघु रूप में डीपीसी) भी होगी। विभागीय पदोन्नति समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे परन्तु पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षक निकाय द्वारा सभी पदोन्नतियों की जाएंगी।

14(7) सचिव एवं उप-सचिव के पद स्थायी प्रकृति के होंगे। सचिव के पद का मूल वेतनमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मूल वेतनमान के समतुल्य तथा उप-सचिव के पद का मूल वेतनमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के मूल वेतनमान के समतुल्य होगा।

14(8) सचिव/उप-सचिव के पद के लिए परीक्षक निकाय नियुक्ति प्राधिकारी होगा जब कि परीक्षक निकाय में अन्य सभी नियुक्तियों के लिए सचिव नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

14(9) उप सचिव को पदोन्नत कर परीक्षक निकाय द्वारा सचिव का पद भरा जाएगा बशर्ते उसने परीक्षक निकाय के उप सचिव के रूप में पांच वर्ष पूरे कर लिए हों।

यद्यपि, परीक्षक निकाय प्रारंभ में उपयुक्त उम्मीदवार को सीधे सचिव नियुक्त कर पद भर सकते हैं बशर्ते वह निम्न शर्तें पूरी करता हो:

(i) उसके पास भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III एवं IV में सम्मिलित भारतीय चिकित्सा प्रणाली में स्नातक की मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो।

(ii) स्नातक के बाद भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र या प्रैक्टिस में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो; या भारतीय चिकित्सा प्रणाली में निजी प्रैक्टिस तथा सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय में उसके अनुभव की अवधि की संपूर्ण अवधि पर विचार किया जा सकता है जोकि दस वर्ष से कम नहीं होगी;

(iii) उसके पास दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण हो;

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
22-8-16

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(iv) पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि को उसकी उम्र चालीस वर्ष से ज्यादा न हो ;

व्याख्या : भारतीय चिकित्सा प्रणाली में पैरा-मैडीकल प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा /परीक्षक निकाय के किसी राज्य या भारतीय प्रणाली के किसी राज्य या केन्द्रीय परिषद में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए तरजीह दी जाएगी।

14(10) परीक्षक निकाय द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों में से सीधे चयन द्वारा उप सचिव का पद भरा जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार निम्न शर्तें पूरी करता हो:

(i) उसके पास भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची II, III एवं IV में, सम्मिलित भारतीय चिकित्सा प्रणाली में स्नातक की मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो;

(ii) स्नातक के बाद भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र या प्रैक्टिस में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो ; या भारतीय चिकित्सा प्रणाली में निजी प्रैक्टिस तथा सरकारी /गैर सरकारी कार्यालय में उसके तजुबे की अवधि की संपूर्ण अवधि पर विचार किया जा सकता है जोकि सात वर्ष से कम नहीं होगी;

(iii) उसके पास दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण हो;

(iv) पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि को उसकी उम्र चालीस वर्ष से ज्यादा न हो ;

व्याख्या : भारतीय चिकित्सा प्रणाली में पैरा-मैडीकल प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा /परीक्षक निकाय के किसी राज्य या भारतीय प्रणाली के किसी राज्य या केन्द्रीय परिषद में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए तरजीह दी जाएगी।

14(11) सचिव एवं उप सचिव उन सभी भत्तों के समकक्ष होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कमशः मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए अनुमत हैं। छुट्टी एवं यात्रा इत्यादि के संबंध में सचिव एवं उप सचिव की पात्रता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के समतुल्य होगी।

14(12) परीक्षक निकाय समय-समय पर सचिव/उप सचिव को छुट्टी प्रदान कर सकती है। यदि छुट्टी की अवधि एक माह से अधिक नहीं है तो अध्यक्ष द्वारा छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

14(13) सचिव की अनुपस्थिति में देय छुट्टी या अन्य किसी कारण के लिए उप सचिव, सचिव की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सचिव के सभी कार्यों/कर्तव्यों को भी निष्पादित करेंगे।

14(14) सचिव एवं उप सचिव दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में परीक्षक निकाय किसी भी सक्षम व्यक्ति को सचिव के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकती है, और इस प्रकार नियुक्त ऐसे व्यक्ति को सभी उद्देश्यों के लिए सचिव माना जाएगा और सभी शक्तियों के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकृत होगा और सचिव के सभी कार्य निष्पादित करेगा।

14(15) **सचिव के कार्य :**

(i) सचिव, परीक्षक निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और सभी सांविधिक कार्यों /कर्तव्यों को निष्पादित करेगा और अधिनियम, नियम और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ii) वह परीक्षक निकाय का कार्य संचालित करेगा और निर्धारित विनियमों के अंतर्गत सभी अपेक्षित नोटिस जारी करेंगे।

(iii) सभी वित्तीय लेन देन स्वीकृत करने के लिए वह सक्षम प्राधिकारी होगा।

(iv) परीक्षक निकाय के द्वारा या विरुद्ध दायर मूल या अपील अधिकारिता में दायर सभी प्रकार के मामलों में सचिव या उसके द्वारा नामित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत हैं और वे ऐसे सभी मामलों की प्रभावी अभियोजन/बचाव की तब तक आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत हैं जब तक इनका अंतिम निपटान न हो जाए। वे पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष सभी प्रकार की शिकायत इत्यादि करने के लिए प्राधिकृत हैं और न्यायालय तथा प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष वकील की सहायता के बिना या साथ में ऐसे सभी मामलों में परीक्षक निकाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(v) सचिव परीक्षक निकाय की सभी बैठकों में हिस्सा लेंगे और कार्यवाही के कार्यवृत्त अपने पास रखेंगे।

2844 29/14-3

सहायक

22-8-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (vi) परीक्षक निकाय के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण के तहत परीक्षक निकाय के दैनिक मामलों के निष्पादन और समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए सचिव उत्तरदायी होंगे।

14(16) **अन्य स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति :-**

समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर अन्य स्टॉफ की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इसी प्रकार के पदों के लिए लागू भर्ती नियमों को प्राधिकारी द्वारा भी अपनाया जाएगा। तकनीकी प्रकृति के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से उनकी सेवाओं की निर्धारित शर्तों द्वारा सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी स्टॉफ सदस्यों की स्वस्थाने पदोन्नति करेंगे। स्टॉफ सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में समतुल्य पदों के कर्मचारियों के बराबर छुट्टी एवं यात्रा भत्ता के पात्र होंगे। परीक्षक निकाय के सफल संचालन के लिए नियुक्ति प्राधिकार संविदा/अस्थायी/तदर्थ/आउट सोर्सिंग आधार पर या समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा। इसके लिए परीक्षक निकाय निबंधन एवं शर्तें तय करेगा।

14(17) **अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य को आरक्षण एवं छूट :-**

- (i) इन विनियमों से आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष संवर्ग के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट तथा अन्य अपेक्षित रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ii) परीक्षक निकाय के सभी कर्मचारी परीक्षक निकाय की निरंतर सेवा अवधि की विस्तारित अवधि के लिए आयु में छूट का पात्र है बशर्ते वह परीक्षक निकाय के सेवा में हो।

14(18) **इन विनियमों के प्रारंभ के समय परीक्षक निकाय के साथ पहले से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकार :-**

जो कर्मचारी इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि को परीक्षक निकाय के कार्यालय में पहले से कार्यरत हैं को इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व तत्समान पदों पर नियुक्त माना जाए। बशर्ते ऐसे कर्मचारी इन विनियमों के प्रारंभ होने पर संबंधित पदों पर परीक्षक निकाय के साथ निरंतर कार्यरत हैं : इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों ने इन विनियमों के प्रारंभ की तिथि पर संबंधित पदों पर अपनी सेवा (सर्विस) के कम से कम 02 वर्ष पूरे कर लिए हों। इसके अलावा नियुक्ति प्राधिकार के निर्धारण के अनुसार ऐसे कर्मचारियों का निष्पादन संतोषजनक है : इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों के पास कथित पदों पर अपनी नियुक्ति के लिए इन विनियमों के अनुसार अपेक्षित अर्हता हो :

इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी वचन दें कि इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व की अवधि के लिए वे धन संबंधी लाभ का दावा नहीं करेंगे। यद्यपि उनकी ऐसी सर्विस की अवधि सभी आशय एवं उद्देश्य के लिए उनके तजुर्बे के रूप में विचारार्थ ली जाएगी।

- 14(19) **परिवीक्षा अवधि :-** सभी नियुक्तियों के संबंध में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी। जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- 14(20) **सेवानिवृत्ति:-** सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु वही होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है। परीक्षक निकाय किसी कर्मचारी को एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सेवा का विस्तार नहीं दे सकती है परन्तु किसी कर्मचारी को दो से अधिक विस्तार नहीं दिए जा सकते हैं।

14(21) **त्यागपत्र :**

- (i) सचिव लिखित रूप में अध्यक्ष को तीन माह का नोटिस देकर अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र परीक्षक निकाय द्वारा इसके स्वीकारने की तिथि से लागू होगा। यदि वह अपेक्षित नोटिस दिए बिना कार्यालय छोड़ता है तो ऐसी अवधि के लिए देय कुल परिलब्धियों के बराबर की राशि उसे जमा करवानी होगी।
- (ii) परीक्षक निकाय का अन्य कोई कर्मचारी यदि वह अस्थायी है तो सचिव को एक माह का लिखित नोटिस देकर और यदि वह स्थायी है तो तीन माह का लिखित नोटिस देकर अपने कार्यालय से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसे दिए गए त्यागपत्र इनकी स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होंगे। यदि कर्मचारी अपेक्षित नोटिस देने

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

में असफल रहता है तो कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिए देय कुल परिलब्धियों के बराबर की राशि जमा करवानी होगी।

- 14(22) सेवा-समाप्ति :- अपेक्षित जांच और ऐसे कर्मचारी को सुनने का अवसर देने के बाद यदि कर्मचारी कदाचार या आचार संहिता भंग करने का दोषी पाया जाता है तो परीक्षक निकाय सचिव / उप सचिव के अलावा किसी कर्मचारी की सेवा-समाप्ति कर सकती है। परीक्षक निकाय सचिव / उप सचिव के अलावा किसी कर्मचारी पर कोई दण्ड भी लगा सकता है, इससे पूर्व कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देना होगा। सार्वजनिक सेवा (पूछताछ) अधिनियम के तहत दी गई प्रक्रिया के अनुसार परीक्षक निकाय सरकार की पूर्वानुमति से सचिव / उप सचिव की सेवाएं समाप्त कर सकती है।

- 14(23) सेवा का भविष्य निधि, उपदान तथा अन्य शर्तें :- परीक्षक निकाय सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप भविष्य निधि स्थापित और उपदान उपलब्ध कराएगी। सर्विस की अन्य शर्तें जैसे - छुट्टी, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत इत्यादि वही होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं। परीक्षक निकाय कर्मचारी सदस्यों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए मैडिकल इंश्योरेंस पॉलीसी उपलब्ध कराएंगे और उसके स्वयं एवं परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए आउट पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रति वर्ष कर्मचारी के अधिकतम पन्द्रह दिनों के मूल वेतन की राशि की प्रतिपूर्ति भी करेगा।

15. रियायत की शक्ति :- जहां परीक्षक निकाय स्वयं या सरकार से प्राप्त संदर्भ की प्राप्ति पर संतुष्ट हैं और कुछ समय के लिए विशेष परिस्थितियों में विनियमों के कुछ वर्तमान प्रावधानों में छूट प्रदान करना चाहती है, तो वह उचित एवं साम्यापूर्ण तरीके से यदि आवश्यक समझे तो कुछ हद तक एवं कुछ शर्तों के तहत तदनुसार रियायत प्रदान कर सकती है।

16. अवशिष्ट शक्ति :- इन विनियमों के लिए उपलब्ध गैर विनिर्दिष्ट सभी मदों के लिए तथा इन विनियमों की विस्तृत वर्किंग से संबंधित सभी प्रश्नों को उसी प्रकार समंजित किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर अध्यक्ष निदेश देंगे।

17. व्याख्या :- यदि इन विनियमों की व्याख्या से कोई प्रश्न उठ खड़ा होता है तो परीक्षक निकाय का निर्णय अंतिम होगा।

एस.के. सचान, उप-सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2014

No. F. 2(13)/2012/Estt./EBD/Pt./74-81 - In exercise of the powers conferred by section 39 of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act 04 of 1999), the Examining Body for Para-medical training for Bharatiya Chikitsa, Delhi with the previous sanction of the Government make following regulations for carrying out the provisions of the Act, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-

- 1(1) These regulations may be called THE EXAMINING BODY FOR PARA-MEDICAL TRAINING FOR BHARATIYA CHIKITSA, DELHI (GENERAL) REGULATIONS, 2014.
1(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. DEFINITIONS:-

- 2(1) In these regulations, unless the context otherwise requires -
(i) "Act" means the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1999);
(ii) "Clear Days" means days exclusive of the day of issue of a notice or intimation, and of the day of the meeting, but it includes Saturdays, Sundays and Holidays;
(iii) "Examining Body" means the "Examining Body for Para-medical training for Bharatiya Chikitsa, Delhi" constituted under section 33 of the Act;
(iv) "GNCTD" means Government of National Capital Territory of Delhi;
(v) "Section" means a section of the Act.
2(2) 'words' and 'phrases' used but not defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act. Words importing the singular number also include the plural number and vice-versa. Words importing the masculine gender also include the feminine gender.

समाप्त २२-८-१०

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

3. NOMINATIONS OF THE MEMBERS AFTER FIRST CONSTITUTION OF THE EXAMINING BODY:-

- 3(1) Nomination under section 33(3)(a) of the Act shall be made on the recommendation of the Head (By whatever name called) of Department of Health & Family Welfare, GNCTD.
- 3(2) Nomination under section 33(3)(b) of the Act shall be made on the recommendation of the Head of the Department (By whatever name called) of Board of the Training and Technical Education, GNCTD.
- 3(3) Nomination under section 33(3)(c) of the Act shall be made on the recommendation of Central Council of Indian Medicine and the member so recommended shall preferably be a graduate of Ayurvedic or Unani System of Medicine. Pre acceptance of the person so proposed to act shall also be taken and communicated by the Central Council of Indian Medicine with such recommendation.
- 3(4) Nomination under section 33(3)(d) and 33(3)(e) of the Act shall be made from among the professors of the teaching institutions of Ayurvedic or Unani Systems of Medicine, as the case may be, situated in the National Capital Territory of Delhi who are registered with Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad, on the recommendation of the Head(s) of the Institution (By whatever name called). If no professor is available, senior faculty member of the institution may be proposed by the Head of the Institution. Willingness of the person so proposed shall also be taken and communicated by the Head of the institution with such recommendation.
- 3(5) Nomination under section 33(3)(f) and 33(3)(g) of the Act shall be made on the recommendations of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad, from amongst the persons having the recognized medical qualification of Indian System of Medicine in Ayurveda or Unani, as the case may be, included in the Schedules of Indian Medicine Central Council Act, 1970 and duly registered with the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad and having at least 15 years of experience in Indian System of Medicine exclusively.
- 3(6) Nomination under section 33(3)(h) of the Act shall be made on the recommendation of the Director (Directorate of Indian System of Medicine and Homeopathy), GNCTD.

Explanation: The authorities recommending the nominations under regulations 3(1), 3(2) and 3(6) shall nominate the post instead of the person individually so that any person who is officiating on that post or his representative may attend the meeting.

4. NOMINATION OF CHAIRMAN UNDER SECTION 33(4) OF THE ACT:-

The Government shall nominate one of the members nominated under the provisions of the Act as Chairman who shall preferably be a qualified graduate of the Bharatiya Chikitsa and registered with the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad.

5. TERM OF OFFICE OF MEMBERS:-

The term of office of the members of the Examining Body shall be five years from the date on which the first meeting of the Examining Body is held after its constitution/reconstitution as the case may be. The Government if thinks so to be appropriate may extend the tenure of the members of the Examining Body maximum for a period of one year. On the expiry of the term, the members of the Examining Body including its Chairman shall continue to exercise all the powers and perform all the duties/ functions as before for the smooth functioning of the business of the Examining Body till the new members of the Examining Body are nominated by the Government.

6. DISQUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIP:-

A person shall be disqualified for being a member if-

- (1) he is not a citizen of India; or
- (2) he is an undischarged insolvent; or
- (3) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (4) he has been sentenced for an offence involving moral turpitude; or
- (5) he has been dismissed from any service under the government.

7. CESSATION OF MEMBERSHIP:-

- 7(1) If any member of the Examining Body during the period of his office-
 - (i) absents himself from three consecutive meetings of the Examining Body without the permission of the Chairman of Examining Body; or
 - (ii) remained abroad for a period exceeding twelve consecutive months; or

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
22-8-16

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (iii) becomes subject to any of the disqualifications specified in regulation 6; or
- (iv) ceases to be enrolled on the State Register of Indian Medicine maintained under section 17 of the Act, in case of members nominated under clauses (d), (e), (f) and (g) of sub section 3 of section 33 of the Act,

the Examining Body shall declare his office as vacant:

Provided that no declaration shall be made under this regulation unless a reasonable opportunity of being heard is given to the concerned member of the Examining Body.

- 7(2) Any member aggrieved by a declaration under regulation 7(1) may prefer an appeal to the Government within thirty days from the date of such declaration and the decision of the Government thereon shall be final.

8. CASUAL VACANCIES:-

- 8(1) The casual vacancy in the office of Member/Chairman of the Examining Body shall arise in following cases:
- (i) on his death; or
 - (ii) on his being disqualified as under regulation 6; or
 - (iii) on cessation of his membership as under regulation 7; or
 - (iv) on his resignation or removal by Government under section 33(6) of the Act.
- 8(2) If the casual vacancy occurs in the office of a member of the Examining Body previous to the expiry of his term of office under any of the circumstances as mentioned in regulation 8(1) or otherwise ceases to be a member, the vacancy shall be filled up by fresh nomination as per section 33(7) of the Act.
- 8(3) Members of the Examining Body shall be eligible for re-nomination, if otherwise qualified.
- 8(4) Casual vacancy of the office of the Chairman shall be filled by nomination from amongst the members of the Examining Body by the Government.
- 8(5) When the office of the Chairman is vacant or the Chairman is incapacitated, the Secretary shall call an emergent meeting of the Examining Body at the earliest and members present in the meeting shall elect from amongst themselves a Chairman who shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman, for a period not exceeding six months or till the period a new Chairman is duly nominated by the Government and assumes office or the earlier Chairman recovers from his incapacity, whichever is earlier.

9. FUNCTIONS AND DUTIES OF THE MEMBERS:-

- 9(1) The Examining Body shall keep a register of the members with their full addresses and it shall be incumbent upon every member of the Examining Body to keep the office of the Examining Body informed about his latest office/residential addresses.
- 9(2) A member shall attend all the meetings of the Examining Body, save where a leave of absence has been granted by the Chairman, in writing.
- 9(3) Every member shall sign the attendance register kept in the meetings.
- 9(4) A member shall acknowledge the receipt of the agenda and proceedings of all the meetings of the Examining Body.
- 9(5) Every member shall give his opinion, take part in the discussion and give his vote on any/all issue/agenda as put before Examining Body in any/all its meeting(s).
- 9(6) A member shall assist the Examining Body where necessary by -
- (i) accepting the nominations on expert committees;
 - (ii) visiting the institutions and organisation as and when deputed by the Examining Body;
 - (iii) preparing and submitting reports of all such visits;
 - (iv) performing any other duties assigned by the Examining Body from time to time.
- 9(7) A member shall hold the confidence reposed in him by the Examining Body and shall not divulge any information to any person who is not authorised to receive such information.
- 9(8) A member shall communicate only with the Chairman and the Secretary for all matters and jobs related to the Examining Body and shall not disclose any information connected with the proceedings/ decisions and other matters of the Examining Body to any public agencies.

2844 25/11-4

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

10. CONDUCT OF BUSINESS OF THE EXAMINING BODY:-**10(1) Calling of Meetings:-**

- (i) The Examining Body shall have its first meeting within a period of two months from the date of its constitution/ reconstitution.
- (ii) For the transaction of the business of the Examining Body, it shall have at least four meetings in one calendar year i.e. one in each quarter i.e. January to March; April to June; July to September and October to December.
- (iii) The Examining Body shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman, and every meeting shall be convened by the Secretary.
- (iv) The Chairman may, whenever he thinks fit call an extra ordinary meeting of the Examining Body. The Chairman shall also call such extraordinary meeting of Examining Body, upon a written requisition of not less than five members, on a date not later than 10 days' after the receipt of such requisition.
- (v) The Chairman or the Secretary of the Examining Body may call an emergent meeting of the Examining Body at any time in case of exceptional circumstances. The notice of such emergent meeting may be given to all the members telephonically/SMS/e-mail or by hand through some special messenger.

10(2) Notice for Calling meeting:-

- (i) All member of the Examining Body shall be given 10 clear days notice of an ordinary meeting and 3 clear days notice of an extra ordinary meeting.
- (ii) Every such meeting notice shall be sent to all members of Examining Body under registered Post/Speed Post/Courier/e-mail; and a copy thereof shall also be displayed at the notice board of the office of the Examining Body.
- (iii) Every meeting notice shall specify the date, time and place of the meeting and the Agenda showing specifically the business to be transacted thereat and also state whether the meeting is for general/ ordinary business or for an extra ordinary business.

10(3) Businesses to be transacted at Meetings:-

At all ordinary and extra ordinary meetings of the Examining Body, no business or proposition other than that as specified in the Agenda shall be taken up. However, the Chairman at his discretion may permit any business or proposition to be discussed in any such meeting if he considers the same to be of urgent nature and that the same could not have been included/entered, despite due diligence, in the Agenda of a general/ordinary meeting. No such inclusion shall be allowed under any circumstances in any extra ordinary meeting.

10(4) Attendance of the Meeting:-

A separate register of attendance for members of the Examining Body shall be maintained and the same shall be placed at the venue of each meeting. All the members present shall record their attendance with their name and signatures in the register of attendance.

10(5) Motion for Insertion in Agenda:-

- (i) Any member may send a request/motion to the Chairman, for inclusion of any business/proposition in the Agenda of the general/ordinary meeting, five clear days prior to the date fixed for the meeting;
- (ii) The Chairman may allow such business/proposition to be included in the Agenda of the meeting if he considers it to be appropriate; and where the Chairman disallows such request/motion, the reason for doing so, shall be communicated, in writing, to the member;
- (iii) The Chairman may, for reasons to be recorded in writing, accept any such request/motion even if received after the expiry of the aforesaid period.

10(6) Adjournment of Meeting:-

Any meeting of the Examining Body may be adjourned, for reason to be recorded, from time to time, to a later hour on the same day or to any other date; but no business other than left over at the adjourned meeting shall be transacted at such adjourned meeting. A notice of adjournment of meeting shall be displayed at the notice board in the office of the Examining Body and also at the place of meeting, on the day on which it is adjourned. The display of the notice in such manner shall be deemed sufficient notice of the next ensuing/adjourned meeting. No separate notice shall be required to be sent to the members for the said adjourned meeting:

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Provided that if the meeting is postponed prior to the date fixed, fresh notice shall be sent to all the members in the manner as prescribed for general/ordinary and Extra ordinary meeting.

10(7) Minutes of the Meeting:-

(i) Minutes of the proceedings of each meeting of the Examining Body shall be recorded and maintained in a book kept for the purpose. This book shall at all reasonable times be open for inspection by any member of the Examining Body.

(ii) The copy of the minutes of the meeting shall be supplied/sent to all the members of the Examining Body within 30 days from such meeting. The member(s) may submit his objection, if any, regarding any entry in the said minutes within seven days in case of ordinary business and three days in case of extra ordinary business. If no objection is received within the period of seven days or three days as the case may be, the said minutes shall be deemed to have been approved by the member(s) and the resolutions passed and the decisions taken in such meeting shall be effective immediate after the expiry of the period of seven days or three days as the case may be.

However, in case of emergent meeting, the minutes shall be recorded immediately and signed at the spot by all the members present and the same shall be deemed to have been approved when so signed by the members; the resolutions passed and the decisions taken in such meeting shall be effective forthwith.

10(8) Amendment of minutes:-

If any objection is received from any member regarding some error or omission in the minutes of the previous meeting, the minutes shall accordingly be amended if the Chairman so considers after taking into consideration the sense of the meeting, in case of error/omission arising out of typographical/mathematical mistake or accidental slip or otherwise. However, in case of any dispute, the Chairman shall take decision as per majority rule.

10(9) Circulation of Written Proposition:-

The Chairman if thinks so apt may circulate a written proposition, for reason to be recorded, instead of calling a meeting, for the observation and voting of the members of the Examining Body thereby inviting the reply of the members in "YES" OR "NO" about that proposition.

11. FEES AND ALLOWANCES:-

11(1) All the members of the Examining Body (including the Chairman) shall be paid an honorarium as fixed by the Examining Body time to time for attending a meeting of the Examining Body and its various committees at the rate as decided by the Examining Body from time to time. No Travelling Allowance/Daily Allowance in addition to honorarium shall be paid to the members for attending meetings of the Examining Body.

11(2) All the members of the Examining Body (including the Chairman) shall be paid Travelling Allowances, Daily Allowances and other permissible allowances for all official works, other than those of attending the meetings of the Examining Body within or outside the National Capital Territory of Delhi at the rate:-

(i) In case, the member is not a Government servant, as applicable to the officers of Grade-I/ Group-I of GNCTD.

(ii) In case, the member is a Government servant, as per his respective group as applicable under his respective service rules.

The members shall ordinarily be not entitled to claim the Travelling Allowance for travelling by Air and/or by First AC of train. However in case of any contingency, the Examining Body may allow the same for the reasons to be recorded.

11(3) The Chairman shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowances.

12. COMMITTEES OF THE EXAMINING BODY:-

12(1) For the purpose of smooth functioning of the Examining Body, the Examining Body may constitute/reconstitute amongst its members such Committees for general and/or special purposes as it deems fit from time to time.

12(2) The Committee(s) so constituted shall perform such functions as are assigned to it by the Examining Body.

12(3) The Examining Body shall have the power to co-opt any person as member of any such Committee(s) who is not the member of the Examining Body. Any member so co-opted shall have the right to attend the meetings of the said Committees(s) and to take part in the discussion

सत्यापित 22-8-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

thereat; however he shall have no right to vote in any proceedings while taking decision on any issue and further that such person may be removed from the membership of the said committee(s) by the Examining Body at any time without giving any opportunity of being heard to such person. However, such person shall also be entitled to certain allowances as specified by the Examining Body from time to time.

13. ASSOCIATION OF PERSONS:-

The Examining Body to seek assistance, may associate any expert(s) and/or any person(s) of repute having special knowledge of the subject, on such terms and conditions and in such manner as the Examining Body considers fit from time to time, to achieve the aims and objects of the Examining Body.

14. CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES OF SECRETARY AND OTHER STAFF:

- 14(1) In general, all the rules and regulations governing the employees of GNCTD shall be applicable to the employees of the Examining Body.
- 14(2) No employees of the Examining Body shall, without the previous permission of the Examining Body, engage himself in any business, profession or service whatsoever, whether part time or full time.
- 14(3) All the employees of the Examining Body shall attend office of the Examining Body at the hour and for the duration as directed by the Examining Body from time to time in accordance with the rules/guidance/circulars/orders of the GNCTD for its offices.
- 14(4) The Secretary shall not absent himself from duties without permission of the Chairman. The other employees of the Examining Body shall not remain absent from their duties without the permission of the Secretary.
- 14(5) The Examining Body shall constitute a Selection Committee for the purpose of recommending suitable candidates for appointments on all the post/posts in the Examining Body, whether on permanent basis or otherwise such as temporary/Ad-hoc/contract/out sourcing/deputation etc. The Selection Committee shall consist at least of three members but not more than five members. All the appointments in Examining Body shall be made by the Examining Body taking into consideration the recommendations of the Selection Committee.

In case of any contingency, the Chairman may make any appointment for any post on ad-hoc basis. However, any such appointment when made shall be reported to the Examining Body at the earliest possible for its approval. In case, the Examining body does not approve the said Ad-hoc appointment made by the Chairman, the person so appointed shall cease to hold the post from such date as the Examining body may specify in that behalf.

- 14(6) There shall also be a Departmental Promotion Committee (in short DPC) for the purpose of considering/recommending promotions of the employees of the Examining Body. The DPC shall consist at least of three members but not more than five members. All the promotions in Examining Body shall be made by the Examining Body taking into consideration the recommendations of the DPC.
- 14(7) The post of Secretary and Deputy Secretary shall be of permanent nature. The post of Secretary shall be in the basic pay scale equivalent to the basic pay scale of Chief Medical Officer of the GNCTD and the post of Deputy Secretary shall be in the basic pay scale equivalent to the basic pay scale of Senior Medical Officer of the GNCTD.
- 14(8) The Examining Body shall be the Appointing Authority for the post of Secretary/Deputy Secretary while the Secretary shall be the Appointing Authority for all other appointments in the Examining Body.
- 14(9) The post of Secretary shall be filled by the Examining Body by promotion of Deputy Secretary provided that he has completed five years as Deputy Secretary of the Examining Body.

However, the Examining Body shall fill up the post of the Secretary directly only initially by appointing a suitable candidate provided he satisfies the following conditions:

- (i) he is holder of recognized medical qualification of graduation in Indian System of Medicine as included in the II, III, and IV Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970;
- (ii) he is having, after graduation, minimum ten years' experience in Government/Public Sector/Private Sector or practice in Indian System of Medicine; or that he is having not less than ten years' experience by taking into consideration together the period of his private practice in Indian System of Medicine and the period of his experience in government/non-government office;
- (iii) he is having valid registration with Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad;

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

22-8-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(iv) he is not above fifty years of age on the closing date of inviting the applications for the post;
Explanation:- The candidates having administrative experience of minimum two years in any State or Central Council of Indian System of Medicine /Examining Body for Para-Medical Training in Indian System of Medicine shall be given preference for giving appointment to such post.

14(10) The post of Deputy Secretary shall be filled up by direct selection by the Examining Body from amongst suitable candidates provided he satisfies the following conditions:

- (i) he is holder of recognized medical qualification of graduation in Indian System of Medicine as included in the II, III, and IV Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970;
- (ii) he is having, after graduation, minimum seven years' experience in Government/Public Sector/Private Sector or practice in Indian System of Medicine; or that he is having not less than seven years' experience by taking into consideration together the period of his private practice in Indian System of Medicine and the period of his experience in government/non-government office;
- (iii) he is having valid registration with Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad;
- (iv) he is not above forty years of age on the closing date of inviting the applications for the post;

Explanation:- The candidates having experience of minimum two years in any State or Central Council of Indian System of Medicine/Examining Body for Para-Medical Training in Indian System of Medicine shall be given preference for giving appointment to such post.

14(11) The Secretary and Deputy Secretary shall be entitled to all the allowances at the rate equivalent to the allowances admissible to the Chief Medical Officer and Senior Medical Officer of GNCTD respectively. The entitlements of the Secretary and Deputy Secretary regarding LEAVE and TRAVELLING etc. shall also be equivalent to those of Chief Medical Officer and Senior Medical Officer of GNCTD respectively.

14(12) The Examining Body may, from time to time, grant leave to the Secretary/Deputy Secretary. If the period of leave does not exceed one month, the leave may be granted by the Chairman.

14(13) In the absence of Secretary, due to leave or for any reason whatsoever, the Deputy Secretary shall exercise all the powers of the Secretary and shall also perform all the functions/duties of the Secretary.

14(14) In case of absence of Secretary and Deputy Secretary both, the Examining Body may appoint any competent person to act as Secretary; and any such person so appointed shall be deemed to be the Secretary for all purposes and he shall be authorised to exercise all the powers and perform all the functions of the Secretary.

14(15) **Functions of Secretary:-**

- (i) The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Examining Body and shall perform all statutory functions/duties and exercise all the powers as prescribed under the Act, Rules and these Regulations.
- (ii) He shall conduct and have charge of the correspondence of the Examining Body and shall issue all requisite notices in the manner prescribed under these Regulations.
- (iii) He shall be the competent authority to sanction all financial transactions.
- (iv) The Secretary or his nominee shall be authorized to appear before courts of law in all types of cases, filed in original or appellate jurisdiction, as filed by or against the Examining Body and they shall be authorized to do the needful for the effectively prosecuting/defending the proceedings of all such cases till their final disposal. They shall also be authorized to make all kinds of complaints etc. before the police and other administrative authorities; and represent the Examining Body in all such cases before the court of law and before such administrative authorities with or without the assistance of an advocate.
- (v) The Secretary shall attend all the meetings of the Examining Body, and shall keep minutes of the proceedings.
- (vi) Subject to general superintendence and control of the Examining Body, the Secretary shall be responsible for the performance of the day-to-day affairs of the Examining Body and such other functions as may be assigned from time to time.

2844 25/14-5

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
२२-८-१६

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-५४

14(16) Appointment of Other Staff Members:-

The Appointing Authority shall appoint other staff on the respective posts as sanctioned by the Government from time to time. The Appointing Authority shall also adopt Recruitment Rules as applicable to similar posts in GNCTD. For posts of technical nature, the Appointing Authority shall appoint competent persons by prescribing conditions of their service with prior approval of the Government. The Appointing Authority shall make 'in situ promotions' of the staff members. The staff members shall draw salary and allowances equivalent to the employees of analogous posts in GNCTD. The leave and travelling entitlement of the staff members shall also be equivalent to the employees of analogous posts in GNCTD. The Appointing Authority may also appoint necessary staff on contract/temporary/Ad-hoc/out-sourcing basis or otherwise from time to time as per the requirement for smooth functioning of the Examining Body, on such terms and conditions as the Examining Body may deem appropriate.

14(17) Reservations and Relaxations to SC/ST and Others:-

- (i) Nothing in these Regulations shall affect Reservations, Relaxation of Age Limit and other Concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by GNCTD from time to time in this regard;
- (ii) All the employees of the Examining Body shall also be entitled to the Age relaxation to the extent of the period for which they have been in continuous service of the Examining Body provided they are still in service of the Examining Body.

14(18) Rights of the employees already working with Examining Body at the time of commencement of these Regulations:-

The employees already working in the office of the Examining Body on the date of commencement of these Regulations shall be deemed to have been appointed to the posts corresponding to those which they were holding immediately prior to the commencement of these regulations:

Provided that such employees have continuously been working with the Examining Body on the respective posts, on the commencement of these regulations:

Provided further that such employees have completed at least two years' period of their service on the respective posts on the date preceding the commencement of these regulations:

Provided further that the performance of such employees is satisfactory to the assessment of the Appointing Authority:

Provided further that such employees are holding requisite qualifications as per these Regulations for their appointment on said posts:

Provided further that such employees undertake not to claim any pecuniary benefits concerning their service for the period prior to the Notification of these regulations. However the period of their such service shall be taken into consideration as their experience for all intents and purposes.

14(19) Probation Period:-

The Probation period in respect of all appointments shall be ONE YEAR which may be extended for a period of one year at the discretion of the Appointing Authority.

14(20) Retirement:-

The age of retirement for all the employees shall be the same as applicable to the employees of GNCTD. The Examining Body may grant extension of service to any employee for a period not exceeding one year at a time; but not more than two such extensions shall be granted to any employee.

14(21) Resignation:-

- (i) The Secretary may resign from his office by giving three months' notice in writing to that effect to the Chairman and such resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Examining Body. If he leaves his office without giving the requisite notice, he shall be liable to deposit an amount equivalent to total emoluments payable in lieu of such period.
- (ii) Any other employee of the Examining Body may resign from his office by giving one month's notice in writing to that effect if he is temporary, and three months' notice if he is permanent, to the Secretary and such resignation shall take effect from the date of its acceptance. In case of failure to give required notice, the employee shall be liable to deposit an amount equivalent to total emoluments payable in lieu of such period.

सहायक निपत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

14(22) Termination of Service:-

The Examining Body may terminate the services of any employee other than the Secretary/Deputy Secretary, in case he is found guilty of misconduct or breach of Code of Conduct, after due enquiry and giving opportunity of being heard to such employee. The Examining Body may also impose any other penalty on any employee other than the Secretary/Deputy Secretary, after giving such employee a show cause notice. The Examining Body may, with the previous sanction of the Government terminate the services of the Secretary/ Deputy Secretary as per the procedure laid down under the Public Servants (Inquiries) Act.

14(23) Provident Fund, Gratuity and other Terms of Service:-

The Examining Body shall establish a Provident Fund and provide for gratuity, in accordance with the statutory provisions. Other terms of service like leave, leave encashment, leave travel concession, etc., shall be similar to those as applicable to the employees of GNCTD. The Examining Body shall provide Medical Insurance Policy for the staff members and their dependant family members and shall also reimburse a sum upto a maximum of fifteen days' basic pay of an employee per year for out-patient medical treatment for himself and his dependant family members.

15. POWER TO RELAX:-

Where the Examining Body is satisfied, on its own or on receipt of reference from the Government, that special circumstances exist warranting relaxation of some of the provisions of these regulations for some time, it may grant relaxation accordingly to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary, in a just and equitable manner.

16. RESIDUARY POWERS:-

All matters not specifically provided for in these regulations and all questions relating to detailed working of these regulations shall be regulated in such manner as the Chairman may, from time to time, direct.

17. INTERPRETATION:-

If any question arises relating to interpretation of these regulations, the decision of the Examining Body shall be final.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. K. SACHAN, Dy. Secy.

गृह (पुलिस-II), विभाग

यातायात पुलिस के उप उपायुक्त का कार्यालय मुख्यालय दिल्ली

आदेश

दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

फा. सं. एफ. 20/04/2003/गृ./पु.-II/5198.—क्योंकि भगवान दास रोड, लॉ इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली के नजदीक एक सामान्य टैक्सी स्टैंड नई दिल्ली नगर पालिका के आदेश संख्या डी.ए.-VII/46/OS/E एन्फोर्समेंट, दिनांक 04/1/1990 द्वारा सामान्य जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया था।

और क्योंकि, अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, नई दिल्ली जिला ने अपने पत्र संख्या 109/एस.ओ./अति. उपायुक्त-II/न.दि., दिनांक 13/09/2011 द्वारा सूचित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा कि उन दिनों माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आसपास बम ब्लास्ट के कारण उपरोक्त टैक्सी स्टैंड को किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की जरूरत है। और क्योंकि, एन.डी.एम.सी. ने अपने पत्र संख्या डी./1951/एस.ओ./एनफो. ने दिनांक 21/09/2012 द्वारा सूचित किया कि एन.डी.एम.सी. एरिया में सामान्य टैक्सी को निरस्त व अधिसूचित करने का अधिकार उपायुक्त पुलिस ट्रैफिक मुख्यालय के पास संरक्षित होने के कारण स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक संस्थान आंबटित किया जाए।

क्योंकि, श्री महिन्द्र पाल सिंह, संचालक उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को आपने बुलाकर वैकल्पिक स्थान सुझाव करने के लिए कहा गया जिसने कि 'काली बाड़ी मार्ग', नजदीक एन.डी.एम.सी. दुकानों पर आंबटित करने के लिए उपयुक्त

2844 84/14-6

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54